राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 3(3)साप्र/6/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक 28/12/2017

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती है, का प्रयोग करते हुए राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (I) इन नियमों का नाम राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (II) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों में विद्यमान प्रस्तावना में उल्लेखित ''राज्य के कारागारों में'' को ''देश के किसी भी कारागार में'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. प्रस्तावना एवं नियम 1 के मध्य विद्यमान शीर्षक तथा विद्यमान नियम 1 में उल्लेखित ''राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008'' को ''राजस्थान लोकतंत्र सैनानी सम्मान निधि नियम, 2008'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 7 में निम्नानुसार संशोधन एँवं प्रावधान जोडा जाता है, अर्थात् :–

   ''7.1 ऐसे प्रकरणों में जहां जेल/पुलिस थाना तथा जिला मजिस्ट्रेट का निरूद्धी संबंधी शासकीय अभिलेख उपलब्ध न हो, उन प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वयं का शपथ पत्र मान्य होगा, लेकिन शपथ पत्र के अलावा उसे मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से उसके साथ निरूद्ध रहे किन्हीं दो मीसाबंदियों द्वारा दिया गया ऐसा प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक के कैद में रहने की अवधि का उल्लेख हो एवं वह प्रमाण पत्र जिले की लोकसभा/विधानसभा के भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो, भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।''

5. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 8 (I) (II) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

   ''(I) ''मीसा बन्दी'' से अभिप्रेत है राजस्थान के अधिवासी, जिनको वर्ष 1975–77 के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों से राष्ट्रीय आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971(1971 का 26) (निरसित) के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया हो, ''लोकतंत्र सैनानी'' कहलाएंगे।

   (II) ''डी.आई.आर. बन्दी'' से अभिप्रेत है राजस्थान के अधिवासी, जिनको वर्ष 1975–77 के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों से भारत रक्षा नियम, 1971(डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, 1971) (निरसित) के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया हो, ''लोकतंत्र सैनानी'' कहलाएंगे।''

6. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 9 (I) (II) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

   ''(I) वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी बनाये गये व्यक्ति को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. बंदियों की पत्नी/पति को जीवन पर्यन्त या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए पेंशन, बशर्ते कि प्रार्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी बनाये जाने के कारण किसी अन्य राज्य से पेंशन/आर्थिक सहायता प्राप्त नही कर रहा हो।

क्रमशः........2

(II) वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी बनाये गये व्यक्ति को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. बंदियों की पत्नी/पति को चिकित्सा सहायता, बशर्ते कि प्रार्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी बनाये जाने के कारण किसी अन्य राज्य से चिकित्सा सहायता प्राप्त नही कर रहा हो।"

7. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 10 (क) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–
"ऐसे मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दी व्यक्ति जो उक्त कानून के अधीन कम से कम एक माह तक जेल में रहा हो।"

8. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 11 में निम्नानुसार संशोधन एवं प्रावधान जोडा जाता है, अर्थात् :–
"11.1 "उक्त नियमों के अन्तर्गत जिन मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन स्वीकृत की गई हैं, उन्हें संबंधित जिला कलक्टर द्वारा परिचय पत्र भी प्रदान किये जायेंगे। इन परिचय पत्रों में इन्हें देय सुविधाओं का अंकन होगा।"
11.2 "उक्त नियमों के अन्तर्गत जिन मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन स्वीकृत की गई है, उन्हें राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी एवं 15 अगस्त पर होने वाले जिला स्तरीय समारोह में संबंधित जिला कलक्टर द्वारा ससम्मान आमंत्रित किया जावेगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव/निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. समस्त निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. वित्त (व्यय–2) विभाग।
8. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
10. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर को आज ही राजपत्र में प्रकाश हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव